न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 295/2015
जीसीएमएस नं. : 2015/00026

1. सोहनलाल पुत्र मोरखाराम जाति मेघवाल निवासी 8 बी.एल.डी. बी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज

बनाम

1. रूकमणी पत्नी पूर्णसिंह जाति कुम्हार निवासी 6 बीएलएम हाल नजदीक पुलिस थाना सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री गुरविन्द्र सिंह क्वात्रा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री नवीन मिढा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार

–:: आदेश ::–

दिनांक : 28.10.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि –

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के नाम से चक 8 बीएलडी बी मु.नं. 15 प.नं. 207/395 कि.नं. 15,16,24/2,25 का 0.962है. भूमि खातेदारी है। प्रार्थी के उक्त रकबा के पूर्व दिशा में मु.न. 14 प.न. 206/395 का रकबा है एंव मु.न. 14 के दक्षिण में मु.न. 22 का रकबा है जो कि मु.न. 22 में स्वीकृतशुदा मौका पर चालू रास्ता आम है जो कि उक्त रास्ता मु.न. 14 के कि.न. 21 तक आता है जो मु.न. 14 का कि.न. 21 का रकबा अप्रार्थी रूकमणी पत्नी पूर्णसिंह के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी के रकबा में आने जाने के लिए कोई रास्ता स्वीकृतशुदा नहीं होने से प्रार्थी मु.न. 22 के रकबा में चल रहा रास्ता जो कि मु.न. 14 के कि.न. 21 तक आता है से मु.न. 14 के कि.न. 21 में से होकर जो कि प्रार्थी के रकबा मु.न. 15 के कि.न. 25 के साथ चिपता हुआ है मे प्रवेश करता है व प्रार्थी ने अपनी रिहायश भी कि.न. 15 में की हुई है जिसमें भी इसी रास्ता से प्रार्थी आवागमन कर रहा है एंव उक्त अप्रार्थी के रकबा में कि. न. 21 में प्रार्थी के आवागमन के लिए एक घाट भी बनाया हुआ है। जो कि उक्त रास्ता उपयोग उपभोग प्रार्थी पिछले काफी अर्सा से निर्बाध रूप से अप्रार्थी के पूर्ण ज्ञान एंव सहमति से करता आ रहा है। प्रार्थी के रकबा के लिए मु.न. 14 के कि.न. 21 तक आ रहा रास्ता आम से कि.न. 21 से मु.न. 15 के कि.न. 25 की हद तक 10 फुट चौडाई में भूमि का उपयोग प्रार्थी रास्ता आम के रूप में उपयोग करता आ रहा हूं किन्तु उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 1 के नाम से खातेदारी भूमि के रूप में दर्ज है इसलिए उनके द्वारा उक्त रास्ता को कभी भी बाधित बंद किया [illegible] है प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी से मिलकर उन्हे उक्त रास्ता के रूप में [illegible] रही भूमि को राजस्व रिकार्ड में रास्ता आम के [illegible] जा रहा है किन्तु अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थी को [illegible] कहा कि आप यहाँ से रकबा में आना जाना कर रहे है करते रहो हम आपको नहीं रोकेगे आप पडौसी है आप चिन्ता मत करे हम रास्ता को बंद नहीं करेगे व जब कभी राजस्व कैम्प आदि लगेगा तो आवश्यकता होने पर रास्ता आम के रूप में दर्ज करवा देगे जिस पर प्रार्थी सदभावी विश्वास करता रहा किन्तु आज से 10 रोज पूर्व अप्रार्थी सं० 1 के द्वारा उक्त रास्ता के रूप में उपयोग में आ रही भूमि से प्रार्थी को आवागमन करने से रोक दिया है व कहा कि ये भूमि मेरी खातेदारी भूमि है तुम यहाँ से आवागमन बंद कर दो मैं तुम्हे मेरे खेत से कोई

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:20:45 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता नही दूगी जिस कारण से प्रार्थी को अपने खेत मे आने जाने व कृषि यन्त्रो को लाने ले जाने मे भारी परेशानी का सामाना करना पडता है जिस पर प्रार्थी ने आज से एक सप्ताह पूर्व अप्रार्थी सं. 2 से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा माननीय न्यायालय मे चाराजोही करने बाबत कह दिया गया जिस कारण से प्रार्थी को माननीय न्यायालय की शरण मे आना पडा है। प्रार्थी के रकबा के लिए वर्णित रास्ता मु.न. 14 कि.न. 21 तक आ रहे रास्ता आम से मु.न. 14 कि.न. 21 से मु.न. 15 के कि.न. 25 की हद तक भूमि से होकर गुजरने के अलावा अन्य कोई सुगम रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थी उक्त 8 बी.एल.डी. बी का मु.न. 14 प.न. 206/395 का कि.न. 21 तक आ रहे रास्ता आम से मु.न. 15 प.न. 207/395 के कि.न. 25 की हद 10 फुट चौडाई में मु.न. 14 का कि. न. 21 की कूट का रकबा को रास्ता आम के रूप मे स्वीकृत करवाना चाहता है उक्त रास्ता आम में आने वाली भूमि के बराबर प्रार्थी अप्रार्थी के रकबा के साथ चिपता हुआ मु.न. 15 के कि.न. 25 में से भूमि देने को तैयार है यदि अप्रार्थी भूमि प्राप्त न कर रास्ता में आने वाली भूमि की कीमत प्राप्त करना चाहे तो प्रार्थी डी.एल.सी. दर अनुसार भूमि की कीमत भी अदा करने के लिए तैयार, तत्पर व इच्छुक है। यदि उक्त भूमि को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया तो प्रार्थी के रकबा में आने जाने के लिए कोई सुगम रास्ता नहीं रह जावेगा एंव प्रार्थी अपने रकबा में आने जाने से वंचित हो जावेगा जिससे काश्त में भारी परेशानी एंव असुविधा होगी तथा प्रार्थी की भूमि काश्त के अभाव में बंजर हो जायेगी प्रार्थी के पास आए का एक मात्र साधन उक्त कृषि भूमि ही है। इसके विपरीत उक्त भूमि को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत कर दर्ज करने पर अप्रार्थीगण को कोई नुकसान नहीं है चूंकि प्रार्थी अप्रार्थी के रकबा के बिलकुल सलंग्न भूमि में ही रास्ता आम में आने वाली भूमि के बराबर भूमि देने के लिए तैयार, तत्पर व इच्छुक है। जिससे अप्रार्थी की भूमि किसी प्रकार कम नहीं होती है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है एंव पूर्ण कोर्ट फीस पर तहरीर होकर अन्दरमियाद पेश है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के रकवा 8 बी.एल.डी. बी का मु.न. 14 प.न. 206/395 का कि.न. 21 तक आ रहे रास्ता आम से मु.न. 15 प.न. 207/395 के कि.न. 25 की हद 10 फुट चौडाई में मु.न. 14 का कि.न. 21 की कूट का रकवा को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी सोहनलाल के द्वारा अपनी जमाबन्दी के मुताबिक अपने सम्पूर्ण किलाजात का वर्णन अपने इस हस्तगत प्रार्थना पत्र में नहीं किया है। प्रार्थी सोहनलाल के उक्त रकबा यानि मुरब्बा नम्बर 15 पत्थर नम्बर 207/395 के पूर्व दिशा में मुरब्बा नम्बर 14 पत्थर नम्बर 206/395 स्थित है जिसमें अप्रार्थीया संख्या 1 रूकमणी के नाम से किलाजात नम्बर 18 ता 25 का रकबा है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थन पत्र की इस मद में मुरब्बा नम्बर 14 पत्थर नम्बर 206/395 एंव मुरब्बा नम्बर 22 पत्थर नम्बर 206/396 के सम्बन्ध मे जानबुझकर मौका की सही वस्तुस्थिति का उल्लेख न करते हुऐ मौका की गलत वस्तुस्थिति अंकित की गई है यहाँ मौका की सही वस्तु स्थिति को उजागर कर देना उचित होगा कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित यह अभिवचन कि मुरब्बा नम्बर 14 पत्थर नम्बर 206/395 के दक्षिण में मुरब्बा नम्बर 22 पत्थर नम्बर 206/396 का रकबा होने के तथ्य इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि अप्रार्थीया संख्या 1 रूकमनी के मुरब्बा नम्बर 14 पत्थर नम्बर 206/395 के किला नम्बर 18 ता 25 के दक्षिण दिशा में सिचाई हेतु पक्का खाला है जो मौका पर चल रहा है और इस सिंचाई खाला के उपरान्त दक्षिण दिशा में मुरब्बा नम्बर 22 पत्थर नम्बर 206/396 का रकबा आता है यानि मुरब्बा नम्बर 14 पत्थर नम्बर 206/395 एंव मुरब्बा नम्बर 22 पत्थर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:20:45 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 206/396 के मध्य सिंचाई हेतु स्वीकृतशुद्धा पक्का खाला है इस सिंचाई खाला के तथ्य को प्रार्थी के द्वारा जानबुझकर अपने हस्तगत प्रार्थना पत्र मे छिपाकर प्रार्थी द्वारा मौका की सही वस्तु स्थिति को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। मुरब्बा नम्बर 22 पत्थर नम्बर 206/396 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में जिस स्वीकृतशुद्धा रास्ता का जिक्र इस मद में कर रहा है वह इस उपरोक्त सिंचाई हेतु मौका पर चल रहे पक्का खाला से पूर्व ही आकर रूक जाता है न कि उपरोक्त कथित रास्ता अप्रार्थीया रूकमनी के नाम राजस्य रिकार्ड में दर्ज मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 21 तक आता है। इस मद में कथित रास्ता जो कि मुरब्बा नम्बर 22 पत्थर नम्बर 206/396 व उसके सामने पश्चिम दिशा में स्थित मु. नम्बर 21 पत्थर नम्बर 207/396 में आने जाने हेतु स्वीकृत किया हुआ है तथा इसी मुताबिक प्रार्थी सोहनलाल वा अप्रार्थीया के रकबा यानि मुरब्बा नम्बर 14 वा 15 के लिऐ भी रास्ता मुरब्बा नम्बर 14 व मुरब्बा नम्बर 15 में आने जाने के लिऐ इन दोनो मुरब्बाजात हेतु मुरब्बा नम्बर 14 पत्थर नम्बर 206/395 व मुरब्बा नम्बर 15 पत्थर नम्बर 207/395 के किलाजात संख्या 1 ता 5 के सामने उत्तर दिशा में स्थित मुरब्बा नम्बर 4 पत्थर नम्बर 207/394 के किला नम्बर 21/1 ता 25/1 में गैर मुमकिन स्वीकृतशुद्धा है जो मौका पर चल रहा तथा इसी स्वीकृतशुद्धा रास्ता से होकर प्रार्थी सोहन लाल अपने मु. नम्बर 15 में स्थित अपने किलाजात में आने जाने के लिऐ इसी मुरब्बा नम्बर 15 के किलाजात संख्या 1 ता 3 के खातेदार बलदेव सिंह की भूमि के किला नम्बर 3 में चल रहे रास्ता का उपयोग कर आगे इसी उक्त मुरब्बा के किला नम्बर 8, 13, 14 की भूमि में से चल रहे रास्ता से होकर अपने किला नम्बर 15 में प्रवेश करता आ रहा है यही रास्ता प्रार्थी के किलाजात हेतु सरल, सुगम एंव सुविधाजनक रास्ता है। प्राची द्वारा अपने मौजूदा प्रार्थना पत्र में मौका की सही वस्तु स्थिति से सम्बन्धित तथ्यो को छिपाकर झुठे एंव वेग तथ्य अपने मौजूदा प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है जो कतई स्वीकार्य नहीं हैं। प्रार्थी के रकबा में आने जाने हेतु कोई रास्ता नही है जो कथन कतई स्वीकार्य नहीं है बल्कि यहाँ यह अंकित कर देना उचित होगा की प्रार्थी को अपने इस रकबा मुरब्बा नम्बर 15 में आने–जाने बाबत अपने इसी उपरोक्त रकबा यानि मुरब्बा नम्बर 15 पत्थर नम्बर 207ध395 के किला नम्बर 1 ता 5 के सामने स्थित रकबा पत्थर नम्बर 207/394 मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 21/1 ता 25/1 में से गैर मुमकिन मन्जूरशुद्धा रास्ता मौका चल रहा हैं और प्रार्थी अपने रकबा के किलाजात संख्या 15 में बनी अपनी ढाणी में आने–जाने के लिऐ अपने इसी रकबा मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 3, 8, 13, 14 की बटलाईन के साथ–साथ मौका पर चल रहे रास्ता से अपने किला नम्बर 15 में बनी ढाणी एंव भूमि में आवागमन कर रहा हैं तथा इसके अतिरिक्त इसी मुरब्बा नम्बर 15 के अन्य काश्तकार भी इसी उक्त रास्ता से अपनी अपनी भूमि के किलाजात में प्रवेश कर रहे है जो कि यह रास्ता इस रकबा के समस्त काश्तकारान की भूमि को जोडने वाला एक सक्षिप्त सुगम और लघुतम एंव सुलभ रास्ता है इसलिऐ प्रार्थी को वैकल्पिक एंव सुगम मार्ग उपलब्ध होने के कारण प्रार्थी मन् अप्रार्थीया के खातेदारी रकबा में से अपने मनमाफिक एंव अपनी सुविधानुसार एक अव्यवहारिक कुंट पाडवा रास्ता स्वीकुत करवाने का कतई विधिक अधिकारी नही है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का मौजुदा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) निरस्त होने के योग्य है। अप्रार्थीया रूकमणी के खातेदारी रकबा मुरब्बा नम्बर 14 पत्थर नम्बर 206/395 के किला नम्बर 21 में मौका पर किसी भी प्रकार का कोई रास्ता [illegible] नही है और ना ही अप्रार्थीया रूकमणी के मुरब्बा नम्बर 14 पत्थर नम्बर 206/395 के किला नम्बर 21 में 10 फुट चौडाई में भूमि का उपयोग प्रार्थी रास्ता आम के रूप में करता आ रहा है। अप्रार्थीया संख्या 1 के खातेदारी रकबा के किला नम्बर 21 के कॉर्नर पर अप्रार्थीया संख्या 1 का कमरा व ट्यूबवैल पूर्व से निर्मित है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया संख्या 1 के रकबा के किलाजात संख्या 21 में से किसी

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:20:45 IST
Reason: SelfAttested

भी प्रकार का कोई रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता है। लेकिन यह तथ्य कतई स्वीकार योग्य नही है कि अप्रार्थीया संख्या 1 के किला नम्बर 21 में मौका पर कोई रास्ता चल रहा हों और जिससे प्रार्थी आवागमन हेतु निर्वाध रूप से उपयोग कर रहा हो। अप्रार्थीया संख्या 1 के रकबा के किलाजात संख्या 21 में कोई आने जाने हेतु कोई चालू रास्ता मौका पर कभी था ही नही तो प्रार्थी के द्वारा उपयोग उपभोग करने के तथ्य स्वतः ही झुठे एंव निराधार हो जाते है। प्रार्थी सोहन लाल के द्वारा इस मद की रचना केवल मात्र अपने प्रार्थना पत्र को रंग देने के उदेश्य से की गई है। प्रार्थी माननीय न्यायालय में क्लीन हेण्ड से उपस्थित नहीं हुआ और उक्त समस्त महत्वपूर्ण तथ्यो को प्रार्थी के द्वारा अपने मौजूदा प्रार्थना पत्र में छिपाकर माननीय न्यायालय को गुमराह कर अप्रार्थीया के रकवा से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है जिसका वह कतई विधिक अधिकारी नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का मौजूदा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रथम दृष्टया काबिले निरस्ती के है। प्रार्थी को वैकल्पिक एंव सुगम मार्ग उपलब्ध होने के कारण प्रार्थी अप्रार्थीया के खातेदारी रकबा मुरब्बा नम्बर 14 पत्थर नम्बर 206/395 के किला नम्बर 21 में से अपने मनमाफिक एंव अपनी सुविधानुसार एक अव्यवहारिक कुंट पाडवा रास्ता जहाँ अप्रार्थीया संख्या 1 का कमरा व ट्यूबवैल भी स्थापित है, से स्वीकृत करवाने का कतई विधिक अधिकारी नहीं है क्योंकि हस्तगत प्रार्थना पत्र में विचारण योग्य कोई विन्दु नहीं है एवं हस्तगत प्रार्थना पत्र गुणावगुण पर संधारण योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होना कतई अस्वीकार है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अधियाचित अनुतोष प्राप्त करने का कतई अधिकारी नही है। प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से नही आया है और समस्त वास्तविक तथ्यों को छिपाकर मौजूदा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में वेग तथ्यो के आधार पर अप्रार्थीया को नाहक तंग परेशान करने की गर्ज से अपने भाई भादरराम के साथ दुरभीसन्धी कर प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टया काबिले निरस्ती के है। प्रार्थी सोहनलाल को अपने इस रकबा मुरब्बा नम्बर 15 पत्थर नम्बर 207/395 के किलाजात नम्बर 15, 16, 17/2, 23/2, 24, 25 का 1.290 हेक्टर में आने–जाने बाबत अपने इसी उपरोक्त रकबा यानि मुरब्बा नम्बर 15 पत्थर नम्बर 207/395 के किला नम्बर 1 ता 5 के सामने स्थित रकबा मुरब्बा नम्बर 4 पत्थर नम्बर 207/394 के किला नम्बर 21/1 ता 25/1 में से मन्जूरशुद्धा रास्ता मौका चल रहा हैं जिस मन्जूरशुद्धा रास्ता से होता हुआ प्रार्थी अपने रकबा के किलाजात संख्या 15 में आने–जाने के लिऐ इसी मुरब्बा नम्बर 15 पत्थर नम्बर 207/395 के किला नम्बर 3, 8, 13, 14 की बटलाईन के साथ–साथ मौका पर चल रहे रास्ता से अपने किला नम्बर 15 में बनी ढाणी एंव भूमि में आवागमन कर रहा हैं और इस रकवा के अन्य काश्तकार भी इसी रास्ता का उपयोग कर रहे है जो कि इस रकबा के सभी काश्तकारान हेतु एक सक्षिप्त सुगम, लघुतम एंव सुलभ रास्ता है इसलिऐ प्रार्थी को वैकल्पिक एंव सुगम मार्ग उपलब्ध होने के कारण प्रार्थी जो कि मन् अप्रार्थीया की खातेदारी रकबा मुरब्बा नम्बर 14 पत्थर नम्बर 206/395 के किला नम्बर 21 के कॉर्नर से जहाँ अप्रार्थीया संख्या 1 रूकमनी का कमरा व ट्यूबवैल जो अप्रार्थीया के द्वारा उक्त रकबा के खरीद करने से पूर्व स्थापित है, के दक्षिणी [illegible] से अपने मनमाफिक एंव अपनी सुविधानुसार एक अव्यवहारिक [illegible] स्वीकृत करवाने का कतई विधिक अधिकारी न[illegible]क रास्ते की आड़ मे इस तरह से एक नया कुंट पाडवा रास्ता विधिक रूप से कायम किया जाना न्यायोचित है और ना ही प्रार्थी के किला न[illegible] 15 में बनी ढाणी में आने जाने बाबत सरल एंव सुलभ रास्ता की श्रेणी में आता है तथा अप्रार्थीया संख्या 1 रूकमनी के मुरब्बा नम्बर 14 पत्थर नम्बर 206/395 के किला नम्बर 21 ता 25 के दक्षिण दिशा में सिंचाई हेतु पक्का खाला निर्मित है जो मौका पर चल रहा है और सिंचाई खाला के सहारे रास्ता देना कतई न्यायोचित नही है

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:20:45 IST
Reason: SelfAttested

क्योकि सिंचाई खाला के बार–बार टुटने से नुकसान होगा। प्रार्थी जो कि अप्रार्थीया को नाहक तंग परेशान करने की गर्ज से जबरन अप्रार्थीया के खेत में से अपनी सुविधानुसार इस तरह का अव्यवहारिक कुंट पाडवा रास्ता कायम करवाने की फिराक में है जिस हेतु प्राथी के द्वारा मौजूदा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में वेग तथ्यो के आधार पर अप्रार्थीया संख्या 1 को पक्षकार मुकदमा बनाकर प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का मौजूदा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) निरस्त होने के योग्य हैं। हस्तगत प्रार्थना पत्र में मुरब्बा नम्बर 15 पत्थर नम्बर 207/395 के समस्त खातेदारान काश्तकारान की पक्षकार नहीं बनाया गया है और ना ही इस रकया मुरब्बा नम्बर 15 के समस्त काश्तकारान के किलाजात का वर्णन किया है इस रकया में प्रार्थी सोहनलाल के किलाजात के अलावा अन्य 6 खातेदारान के किलाजात भी हैं जिन्हे पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया है इसलिये आवश्यक पक्षकारों के अभाव में हस्तगत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी अपने भाई भादरराम के साथ मिलकर गत तहसीलदार महोदय श्री विजयनगर को अपने प्रभाव में लेकर पूर्व में जबरन अवैधनिक रूप से अप्रार्थीया के खातेदारी मुरख्या नम्बर 14 पत्थर नम्बर 206/395 के किला नम्बर 21 में बने कमरे वा ट्यूबवैल का धवस्त कर अपनी सुविधानुसार एक नया कूट पाडवा रास्ता निकालने हेतु प्रयासरत था ता अप्रार्थीया द्वारा अपने उक्त किला नम्बर 21 में बने कमरे या ट्यूबवैल को जबरन ध्वस्त कर अवैध रूप से एक नया रास्ता निकालने से रोकने बाबत एक सिविल वाद स्थाई निषेधाज्ञा अनवानी रूकमणी बनाम् भादरराम–सोहनलाल वगैरा, दावा संख्या 02/2017 सिविल न्यायाधीश श्री विजयनगर में प्रस्तुत किया था जिसमें इस प्रकरण का प्रार्थी सोहनलाल वा उसका भाई भादरराम बतौर प्रतिवादीगण प्रतिस्थापित थे। सिविल वाद में प्रार्थी सोहनलाल की शपथ पर साक्ष्य माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश श्री विजयनगर के समक्ष आई है। जिनके शपथपुर्वक हुऐ बयानात का मुलाहिजा किया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थी सोहन लाल माननीय सिविल न्यायालय श्री विजयनगर में हुई अपनी प्रतिपरीक्षा में यह तथ्य स्वय स्वीकार करता है, मेरा मुरब्बा नम्बर 15 में रकबा पडता हैं। यह कहना सही है कि मुझे मेरा भाई भादरराम आज न्यायालय में गवाही देने के लिए लेकर आया है। हमारे मुरब्बा नम्बर 15 में बलदेव सिंह के किलाजात भी पडते है। बलदेव सिंह के किलाजात मुरब्बा नम्बर 15 के आगे पड़ते है। यह कहना सही है कि मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 1 ता 5 में बलदेव सिंह के किलाजात है। यह कहना सही है हम अपने रकबा में मुरब्बा 15 में स्थित अपने किलाजात की भूमि में इसी मुरब्बा के काश्तकार बलदेव सिंह के रकबा से आना जाना करते है। बलदेव सिंह के रकबा के साथ सडक है। हमारे मुरब्बा के उत्तर दिशा में बलदेव सिंह का रकबा है। हमारे दक्षिण दिशा श्योचन्द कुम्हार की भूमि है। हमारी भूमि व श्योचन्द की भूमि के मध्य सरकारी खाला है जो सरकारी खाला धरातल से करीबन 2 फुट ऊंचा हैं। यह कहना सही है कि बलदेव सिंह के रकबा जो मुरब्बा नम्बर 15 में स्थित है उसके सामने भी बलदेव का रकबा है इन दोनो रकबा के मध्य नहर पर जाने वाली सड़क है। हमारे साथ चिपते हुऐ रकबा में किला नम्बर 21 में सरकारी खाला के साथ ट्यूबवैल व कमरा बना हुआ है। इस प्रकार प्राथी सोहनलाल सिविल न्यायालय में हुऐ अपने सहशपथ बयानों में अपने रकबा में आने जाने बाबत बलदेव सिंह की भूमि में से रास्ता विधमान होने के तथ्य को, सिंचाई खाला के तथ्य को, खाला के साथ अप्रार्थीया के किला नम्बर 21 के साथ साथ ट्यूबवैल व कमरा बना हुआ होने के तथ्य को स्वीकार किया है। प्रार्थी सोहनलाल के बयान की नकल संलग्न है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का मौजूदा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) निरस्त होने के योग्य हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. भू अभिलेख निरीक्षक 4 बीएलडी से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। पीठासीन अधिकारी स्वंय द्वारा विवादित स्थल का मौका निरीक्षण किया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:20:45 IST
Reason: SelfAttested

भू अभिलेख निरीक्षक 4 बीएलडी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी को रास्ते की आवश्यक्ता है। प्रार्थी चक 8 बीएलडी बी प.नं. 207/394 कि.नं. 21 ता 25 मे मजूरशुदा रास्ता से प.नं. 207/395 कि.नं. 3,7/1,14/2,14/1 के काश्तकारों के खातेदारी रकबा में से होकर अपने खातेदारी रकबा में आवागमन करता है। अन्य वैकल्पिक/लघुतम रास्ता प.नं. 207/395 के कि. नं. 5 व 6 के पूर्वी दिशा में हो सकता है लेकिन उक्त जगह में मौके पर लगभग 15 फीट उंची मिटटी की पाल बनी हुई है। प्रार्थी द्वारा रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि चक 8 बीएलडी बी के प.नं. 206/395 के कि.नं. 21 के दक्षिणी–पश्चिमी मे पस्तावित जो कि रूकमणी पत्नी पूर्ण सिंह जाति कुम्हार सा. 6 बीएलएम हाल सूरतगढ के नाम खातेदारी दर्ज होकर मौके पर एक ट्यूबवैल मय पक्की नाली, 6 गुणा 6 वर्गफीट में पक्का कमरा व सिंचाई हेतु पक्का नका बना हुआ है।

4. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु स्वीकृतशुदा मार्ग नहीं है, वैकल्पिक मार्ग का अभाव है। वांछित मार्ग ही लघुतम मार्ग है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। अप्रार्थीया को परेशान करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में प्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा के वाद पत्र में प्रार्थी द्वारा रास्ता उपलब्ध होने के तथ्य को स्वीकार किया गया है। प्रार्थी को रास्ता की आवश्यक्ता नहीं है, प्रार्थी द्वारा जहां से रास्ता चाहा गया है वहां अप्रार्थी का ट्यूबवैल से कमरा बना है तथा रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी अपने स्वयं की परिवार की भूमि जो इसी मुरब्बा के अन्य किलाजात में है तथा स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता से जुड़ी हुई है में से होते हुए अपनी भूमि में आवागमन करता है तथा रास्ता स्वीकार करवा सकता है। प्रार्थना पत्र सारहीन होने एवं धारा 251ए आरटीए की परिधि में नहीं आने के कारण अस्वीकार योग्य है। वकील अप्रार्थी न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2017 (1) पृष्ठ सं. 423 की छायाप्रति पेश की।

5. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया। अप्रार्थी द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति प्रकट की गयी है कि प्रार्थी को अपनी भूमि में प्रवेश के प्रयोजनार्थ मु.नं. 4 कि.नं. 21/1 ता 25/1 में से गै.मु. मन्जूरशुदा रास्ता है जिससे आगे मु.नं. 15 में से होकर प्रार्थी अपनी भूमि में आवागमन कर सकता है। रिपोर्ट भूअ.नि. के अनुसार उक्त स्वीकृतशुदा रास्ता के आगे 15 फुट उंची मिट्टी की पाल है। पीठासीन अधिकारी स्वंय द्वारा भी मौका निरीक्षण के दौरान उक्त रास्ता उपयोग किया जाना संभव एवं अव्यवहारिक नहीं पाया गया है। अन्य वैकल्पिक मार्ग हेतु न तो प्रार्थी द्वारा आवेदन किया गया है न ही वे लघुतम है। रिपोर्ट भू अ.नि. अनुसार प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ते की आवश्यक्ता है। ऐसे में न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि रास्ते की परम आवश्यक्ता है व प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक मार्ग का अभाव है। प्रार्थी द्वारा की जा रही रास्ता की मांग सुखाधिकार के लिए नहीं होकर अत्यांतिक आवश्यक्ता की श्रेणी में आती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 1 की भूमि चक 8 बीएलडी बी प.नं. 206/395 मु.नं. 14 कि.नं. 21 के दक्षिणी पश्चिमी कोना में ट्यूबवैल/कमरा के साथ साथ कार्नर 10 फुट चौडाई का तिरछा रास्ता प्रार्थी की भूमि मु.नं. 15 कि.नं. 25 में प्रवेश हेतु स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 को रास्ते में आई भूमि की एवज मे रास्ता में आई भूमि की डीएलसी दर को दो गुणा राशि मुआवजा

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट विजयनगर
उपखण्ड अधिकारी
विजयनगर
Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:20:45 IST
Reason: SelfAttested

के तौर पर अदा करेगा। तहसीलदार श्रीविजयनगर रास्ता में आई भूमि एवं उस पर प्रतिकर राशि की गणना कर नियमानुसार प्रार्थी से राशि जमा करवा अप्रार्थी सं. 1 को भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें एवं स्वीकृतशुदा गैर मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:20:45 IST
Reason: SelfAttested